आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
25/2/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **शस्त्र संचिका सं0 36-178/09** **अरविन्द कुमार सिंह, सा0-रीठ के टोला एकमा, थाना-एकमा, जिला-सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 668/गो0 28..2.2009 द्वारा आवेदक अरविन्द कुमार सिंह,, पे0-श्री बच्चा सिंह, सा0-रीठ के टोला एकमा, थाना-एकमा, जिला-सारण का एक रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। इसी क्रम में आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वर्णित शस्त्र की अनुज्ञप्ति हेतु CWJC वाद सं0 17561/2013 दाखिल कर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि आवेदक का हार्डवेयर की दूकान है, जिससे प्रतिदिन का कारोबार 2,00000/-- रूपये का है। आवेदक को रूपया जमा करने हेतु बैंक जाना पड़ता है, जो दूकान से लगभग 1 कि0मी0 की दूरी पर है। रूपया जमा करने हेतु आवागमन में आवेदक को जान-माल का खतरा बना रहता है। आवेदक के जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। यह भी बतलाया कि इस संबंध में पुलिस जॉच प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है। अतः आवेदक को रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।	

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, एकमा के प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 5271/गो0 दिनांक 9/12/2013 के द्वारा पत्र प्राप्त है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के विरूद्व गंभीर प्रकृति का कोई खतरा व्याप्त होने अथवा खतरे का सामना करने की बात का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार मैं यह पाता हूँ कि आवेदक के विरूद्व गंभीर प्रकृति का कोई खतरा व्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने पर कोई औचित्य नहीं है।

अतः आवेदक श्री अरविन्द कुमार सिंह द्वारा दिनांक 17.10.2008 को पिस्टल/रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 141/शा० दिनांक 25/3/14

प्रतिलिपि - पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा / जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/14

वरीय उप समाहर्त्ता
प्र० जिला विधि शाखा
19/3/14 सारण, छपरा